



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ, 1942 (श०)

संख्या-84 राँची, सोमवार,

1 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

19 जनवरी, 2021

संख्या-5/आरोप-1-55/2020-571 (HRMS)--श्री अनिल कुमार, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला-गढ़वा), अंचल अधिकारी, काँके, राँची के संबंध में उपायुक्त, राँची के पत्रांक-5808, दिनांक 02.12.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंचल-काँके के मौजा-नगड़ी, थाना सं0-53 के खाता सं0-136, प्लॉट सं0-2308 एवं 2381, रकबा क्रमशः 0.39 एवं 20.20 एकड़ भूमि खतियान में नदी के रूप में दर्ज है। नदी के रूप में दर्ज प्लॉट सं0-2381, रकबा-20.20 एकड़ के अंश भाग पर भू-माफिया द्वारा मिट्टी भरवा कर समतलीकरण का कार्य कराया जा रहा है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि काफी लंबे समय से सरकारी भूमि, जिसकी प्रकृति नदी है, को भरे जाने से प्रतीत होता है कि उक्त भूमि के अतिक्रमण में अंचल अधिकारी, काँके की संलिप्तता है। साथ ही, श्री कुमार द्वारा दिनांक 10.11.2020 को ईमेल के माध्यम से भेजी गई प्रतिबंधित भूमि की सूची में उक्त अतिक्रमित भूमि को प्रतिबंधित सूची में नहीं डाला गया है, जिस पर भू-माफिया द्वारा कार्य कराया जा रहा है।

2. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के आलोक में उन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया जाता है तथा उक्त अवधि में श्री कुमार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	ANIL KUMAR (110002910660)	श्री अनिल कुमार, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला- गढ़वा), अंचल अधिकारी, काँके, राँची को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।	19/01/2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
